JALAUN POLICE

दिनांक – 11.05.2025

श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक, कानपुर जोन, कानपुर एवं पुलिस उपमहानिरीक्षक, झांसी परिक्षेत्र, झांसी के निर्देशन में पुलिस अधीक्षक जालौन के कुशल नेतृत्व में एसओजी एवं थाना एट पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा बकरी चोरी की घटनाओं का सफल अनावरण करते हुए घटना से सम्बन्धित 02 अन्तर्रजनपदीय अभियुक्तों को चोरी की 07 अदद बकरियों तथा घटना में प्रयुक्त 01 अदद पिकअप एवं अवैध असलाह कारतूस के साथ गिरफ्तार किया गया।

दिनांक 10.05.2025 को वादी द्वारा अपने घर के वाहर बंधी 7 बकरियां अज्ञात चोरों द्वारा पिकअप में भरकर चोरी कर ले जाने के सम्बन्ध में थाना एट में मु0अ0सं0 72/25 धारा 303(2) बीएनएस एवं दिनांक 10.05.2025 को कोतवाली कोंच में अन्य वादी की तहरीर के आधार पर मु0अ0सं0 109/25 धारा 303(2) बीएनएस पंजीकृत कराया गया था।

दिनांक 11.05.2025 को एसओजी एवं थाना एट पुलिस द्वारा रोकथाम अपराध, चैकिंग संदिग्ध व्यक्ति, लुटेरे, वाहन चोर / वांछित अपराधी एवं सुरागरसी-पतारसी के दौरान मुखबिर की सूचना पर चोरी की घटना का सफल अनावरण करते हुए, घटना मे शामिल 02 अभियुक्तों को कोटरा मोड़ अंडर पास कस्वा व थाना एट जिला जालौन के पास से गिरफ्तार कर चोरी के 07 बकरे/बकरियों (थाना एट में मु0अ0सं0 72/25 धारा 303(2) बीएनएस एवं कोतवाली कोंच में पंजीकृत मु0अ0सं0 109/25 धारा 303(2) बीएनएस से सम्बन्धित) की बरामदगी की गयी है। अभियुक्तों को गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्तगण द्वारा बताया कि हम लोग सड़क के किनारे चरवाहों की बकरे/बकरी चोरी करते हैं तथा पिकअप में डालकर भाग जाते तथा उन्हें बेंचकर जो पैसा प्राप्त होता है, उसे हम अपनी जरूरतों एवं शौक पर खर्च कर देते हैं। आज हम लोग इन बकरे/बकरियों को बेचने जा रहे थे कि पुलिस द्वारा पकड़ लिया गया है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण:-

1. अरमान कुरैशी पुत्र असगर उम्र करीब 22 वर्ष नि0 तालपुरा थाना कोतवाली जनपद झांसी
2. सुनील चौधरी पुत्र स्व0 शिवदयाल उम्र करीब 28 वर्ष निवासी नारायन वाग चौराहा के पास थाना नवावाद जनपद झाँसी

अभियुक्त अरमान कुरैशी उपरोक्त का आपराधिक इतिहास

1.मु0अ0सं0 172/2025 धारा 303(2) बी0एन0एस0 थाना एट जनपद जालौन

2.मु0अ0सं0 109/2025 धारा 303(2) बी0एन0एस0 थाना कोंच जनपद जालौन

अभियुक्त सुनील चौधरी उपरोक्त का आपराधिक इतिहास

1.मु0अ0सं0 172/2025 धारा 303(2) बी0एन0एस0 थाना एट जनपद जालौन

2.मु0अ0सं0 109/2025 धारा 303(2) बी0एन0एस0 थाना कोंच जनपद जालौन

बरामदगी:-

1. 07 अदद बकरे/बकरियां (थाना एट में मु0अ0सं0 72/25 धारा 303(2) बीएनएस एवं कोतवाली कोंच में पंजीकृत मु0अ0सं0 109/25 धारा 303(2) बीएनएस से सम्बन्धित)
2. 01 अदद पिकअप (घटना में शामिल)
3. 8,000/- रूपये नगद (चोरी के कुछ बकरे/बकरियां बेच कर प्राप्त धन)
4. 01 अदद तमंचा व 02 अदद जिंदा कारतूस 315 बोर
5. 01 अदद तमंचा व 02 अदद जिंदा कारतूस 12 बोर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. प्रभारी निरीक्षक थाना एट मय टीम
2. एसओजी टीम जनपद जालौन।